ISSN: 2455-8729
International Educational Journal
CHETANA

आरटीई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति व उनके समायोजन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन

* डॉ. शिप्रा गुप्ता, रीडर
**दीप्ति वर्मा, शोध अध्येता
बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, जयपुर

प्राप्त किया – 12 फरवरी 2017, संशोधन किया – 20 फरवरी, स्वीकृत किया – 27 फरवरी 2017

सार–संक्षेप

मुख्य रेखांकित पद– *सतत् और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय*

International Educational Journal is licensed Based on a work at www.echetana.com

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा व शिक्षार्थी के महत्व तथा शिक्षक के दायित्व को भली–भांति स्पष्ट करते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अनेक विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। सरकार द्वारा भरसक प्रयासों के बावजूद सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। सर्वशिक्षा अभियान का नारा है **''सब पढ़े सब बढ़े''** इसी को ध्यान में रखते हुये सरकार ने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की है जैसे कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, मिड–डे–मिल आदि। भारत सरकार का दावा है कि देश में छः से चौदह (6 से 14) साल की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 22 करोड़ (बाईस करोड़) के लगभग है और उसमें करीब एक करोड़ ऐसे हैं जो अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थितियों के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। वर्ष 2002 में अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के करीब 9 वर्ष बाद 86वाँ संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21–क सम्मिलित किया गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी और इसके लिए वे चाहें तो कानून का निर्माण भी कर सकती हैं। इसी क्रम में शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने वाली संवैधानिक व्यवस्था के रूप में ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, अधिकार अधिनियम–2009'' संसद द्वारा पारित किया गया है।

2. शोध उद्देश्य

अनुसंधानकर्त्री ने अपने शोधकार्य हेतु निम्नलिखित शोध उद्देश्य निर्धारित किए हैं –

1. शहर में स्थित विद्यालयों में आर.टी.ई. के तहत होने वाले प्रवेश में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का अध्ययन।
3. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का अध्ययन।
4. आर.टी.ई. के तहत प्रवेश पाने वाले कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन करना।
5. आर.टी.ई. के तहत प्रवेश पाने वाले कमजोर विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन करना।

3. शोध परिकल्पनाएँ

(i) ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों का निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

(ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

(iii) शहरी हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

(iv) ग्रामीण हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

4. शोध प्रविधियाँ

4.1 विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

4.2 न्यादर्श – प्रस्तुत शोध में ***जयपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के 60 विद्यार्थी एवं 60 अभिभावकों को शामिल किया गया है।***

4.3 उपकरण – प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

4.4 प्रदत्त संचयन – प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री ने ***"आर.टी.ई.के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति व उनके समायोजन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन''*** समस्या को चुना है। इस समस्या पर अध्ययन के लिये शोधकर्त्री ने जयपुर जिले के 2 ग्रामीण व 2 शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को लिया गया है तथा 120 विद्यार्थियों को लिया गया हैं। समस्या के अध्ययन के लिये 'स्वनिर्मित प्रश्नावली' का प्रयोग किया गय। इनमें उत्तरों के लिये दो विकल्प रखे गये – हाँ व नहीं। सही उत्तर का 1 अंक

निर्धारित किया गया। रखा गया। तथ्य संकलन के लिये किये गये इस परीक्षण में विद्यार्थियों व विद्यालयी स्टॉफ ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किये। इस सहयोग के लिये मैंने उनका आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया।

5. परिणाम

परिकल्पना–1 ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों का निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

क्र. सं.	स्तर	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (SD)	'सी.आर.' मान ('C.R.' value)	सार्थकता
1.	ग्रामीण विद्यालय	60	12.92	2.23	12.45	असार्थक
2.	शहरी विद्यालय	60	18.03	2.26		

परिकल्पना–2 *हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में **RTE** के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।*

क्र. सं.	स्तर	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (SD)	'सी.आर.' मान ('C.R.' value)	सार्थकता
1.	हिन्दी माध्यम	60	9.95	1.501	11.40	सार्थक
2.	अंग्रेजी माध्यम	60	13.87	2.198		

परिकल्पना : 3

शहरी हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

क्र. सं.	स्तर	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (SD)	'सी.आर.' मान ('C.R.' value)	सार्थकता
1.	शहरी हिन्दी माध्यम	60	12.87	2.09	9.259	असार्थक
2.	शहरी अंग्रेजी माध्यम	60	17.00	3.24		

परिकल्पना–4

ग्रामीण हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।

क्र. सं.	स्तर	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (SD)	'सी.आर.' मान ('C.R.' value)	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण हिन्दी माध्यम	60	10.50	1.78	9.11	असार्थक
2.	ग्रामीण अंग्रेजी माध्यम	60	13.92	2.29		

6. परिणामों की विवेचना –

प्रस्तुत शोध के परिणाम इस प्रकार है –

1. ''ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों का निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।'',
2. ''हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति व समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।''
3. 'शहरी हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है।'',
4. 'ग्रामीण हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।'',

7. शैक्षिक निहितार्थ

प्रशासक प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उसमें आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगे ओर प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति में सुधार लाने तथा समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास कर सकेंगे। अभिभावक प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उसमें आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगे और प्रवेश प्रक्रिया में सुधार लाने तथा समस्याओं का समाधान निकालने में प्रशासकों को सहयोग कर सकेंगे।

केन्द्र एवं राज्य सरकारें RTE के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया की स्थिति एवं उसमें आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगी। नये अनुसंधानकर्ताओं के लिए यह मार्गदर्शन एवं दिशा

निर्देश का कार्य कर सकेगा। आरटीई में नवीन शोध कार्यों को प्रस्तुत शोध द्वारा बढ़ावा मिलेगा।प्रस्तुत शोध अनुसन्धानकर्ता के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होगा। भविष्य में किए जाने वाले शोधकार्य के लिए दिशा–निर्देश का कार्य कर सकेगा।

8. संदर्भ सूची

1. बोहरा, भूषण लाल, 1996 "मानव अधिकार और पुलिस बल" शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. बक्शी, पी.एम. (2000) : "कॉन्सीट्यूशन ऑफ इण्डिया" इलाहाबाद. पृष्ठ संख्या, 150–160.
3. भटनागर,एम. बी. मीनाक्षी 2006 " भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास",आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, ।
4. ढौढ़ियाल, डॉ. सच्चिदानन्द 2004 शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, अरविन्द लायल बुक डिपों, मेरठ,
5. गौतम, ओ. पी ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एन आर्टिकल इन टुवार्ड राइट्स फेमवर्क

* डॉ. शिप्रा गुप्ता, रीडर

** दीप्ति वर्मा, शोध अध्येता

बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, जयपुर